



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1409) पटना, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त 2025

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 अगस्त 2025

सं० 1/स्था० (2) 04/2019-3486—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “बिहार पशु चिकित्सा सेवा” (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (i) यह नियमावली “बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025” कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. “बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2020 के नियम-5 का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम-5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“5. सीधी भर्ती से नियुक्ति की अर्हता।—इस सेवा के सामान्य संवर्ग एवं विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति की अर्हता निम्नवत् होगी—

- (1) नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०वी०एस०सी० (B.V.Sc.) अथवा बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री होगी।

(i) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी :-

- (क) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की अधिमानता—
नोट:—परीक्षा की अंक की अधिमानता की गणना के लिए
परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत में 0.75 से गुणा
कर प्राप्त किया जायेगा।

पूर्णांक

75 अंक।

- (ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता— 25 अंक।
(प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंक के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)

कुल—100 अंक।

- (2) परंतु विज्ञापन वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय-समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय।
परंतु अधिकतम उम्र सीमा के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या—212 दिनांक—23.01.2006 द्वारा यथानिर्धारित छूट अनुमान्य होगी।
परंतु यह भी कि संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा। परंतु वर्णित उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो।
- (3) संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य की अधिमानता अथवा अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार राज्य के अन्दर किसी गैर निजी संस्थान (यथा भारत सरकार/किसी उपक्रम/निगम/ निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय) में समान पद पर किया गया कार्य अनुभव मान्य होगा। साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों तथा बिहार सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सकों के कार्यानुभव के लिए भी अधिमानता दी जायेगी।
- (4) संविदा के आधार पर कार्य अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-ऑफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।
- (5) अभ्यर्थी को बिहार पशु चिकित्सा परिषद् से स्थायी रूप से निबंधित होना चाहिए।
- टिप्पणी —(क)**
- (1) लिखित परीक्षा एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को प्रेषित की जायेगी।
- (2) बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय ही परीक्षा में रखा जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य सभी निर्णय आयोग द्वारा लिया जायेगा, परंतु आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार एक से अधिक तिथियों/सत्रों में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किए जाने पर आयोग विभिन्न तिथियों/सत्रों के अंकों का आवश्यकतानुसार मानकीकरण (Normalisation) करने में सक्षम होगा।
- (3) बिहार राज्य के अंदर अवस्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।
- (ख) सामान्य/विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण में अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निर्धारित अंक के अनुसार होगा।

**बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एन० विजयलक्ष्मी,
अपर मुख्य सचिव।**

The 5th August 2025

No. 1/Astha (2) 04/2019/3488—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following amendments to the "**Bihar Animal Husbandry Service (Appointment and Service conditions) Rules, 2014**" (as amended from time to time) :-

1. **Short Title , Extent and Commencement :-**

- (i) These rules may be called the "**Bihar Animal Husbandry Service (Appointment and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2025**".
- (ii) These rules shall be applicable throughout Bihar.
- (iii) These rules shall come into force from the date of its publication.

2. **Amendment in Rule-5 of the Bihar Animal Husbandry Service (Appointment and Service Conditions) (Amendment) Rules 2020.** – Rule-5 of the said rule shall be substituted as follow :-

"5. Qualification for Appointment by Direct Recruitment:-

Appointments to general and special posts in the service shall be made through direct recruitment based on the following eligibility criteria :-

- (1) The minimum educational qualification for appointment shall be B.V.Sc. or B.V.Sc. & A.H. degree from a university recognized by Veterinary Council of India.

- (i) Merit list for appointment shall be determined as follows :-

Full Marks.

- (a) Marks obtained in the written examination conducted by the commission- 75 Marks.

Note:- The weightage of written exam marks will be calculated by multiplying the marks obtained by 0.75.

- (b) Maximum preference for working on contract basis-25 Marks.
(5 marks for each working year with a maximum limit of 25 marks. For marks of any year, the proportional marks obtained by multiplying the number of working days by 5 and dividing by 365 shall be added)

Total - 100 Marks.

- (2) But the maximum age limit of the candidate on 1st. August of the advertisement year shall be that which may be decided by the State Government (General Administration Department) from time to time reservation category wise.

But in respect of maximum age limit, relaxation as prescribed by General Administration Department's Circular No. 212 dated 23.01.2006 shall be admissible.

Provided also that relaxation in maximum age limit will be given for the period equivalent to the work done as a result of contract employment. Part of any working year will also be included in this. However, the benefit of relaxation in the mentioned age limit and preference in appointment on the basis of work experience will be given only at the time of regular appointment on the post on which work has been done under contract employment.

- (3) For preference of work done on the same post on contract basis or relaxation in maximum age limit, work experience done on the same post in Bihar Government or any non-private institution (such as Government of India/any under taking/corporation/body/authority/

autonomous body) within the state of Bihar will be valid. In addition to that, equal weightage for work experience will be given to those veterinary doctors working in different projects under Animal and Fisheries Resources Department, Bihar and veterinary doctors working in any other department of Government of Bihar.

- (4) The work period on contract basis will be decided on the basis of salary payment certificate issued by the concerned controlling officer. For this, the period till the cut-off date mentioned in the advertisement published by the Commission can be calculated for work experience.
- (5) The candidate should be permanently registered with Bihar Veterinary Council.

- Note:-** (a) (1) The final merit list of the selected candidates will be prepared by the Commission on the basis of the total marks obtained in the written examination and work experience and the reservation category wise recommendation for appointment will be sent to the Department.
- (2) Only the subjects included in the B.V.Sc. & A.H. syllabus will be included in the examination. The format of the competitive examination, syllabus and all other decision related to the conduct of the examination will be taken by the Commission, but if the Commission conduct the competitive examination on more than one date/session as per requirement, the Commission will be able to normalize the marks of different dates/sessions as per requirement.
- (3) 50% horizontal reservation will also be applicable in all reservation categories for candidates passing from veterinary colleges located within the state of Bihar.
- (b) The minimum marks for the candidate considered for appointment in the General/Specialist cadre will be as per the marks prescribed in the circulars issued by the General Administration Department from time to time.

By Order of the Governor of Bihar,
Dr. N. Vijayalakshmi,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1409-571+100-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>